

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

(397)

397

क्रमांक 2661 // 3184 / 2015 / 19 / यो
प्रति.

भोपाल, दिनांक 20/05/2015

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन भोपाल

विषय: ड्रेनेज लेयर तथा हार्ड शोल्डर्स के संबंध में निर्देश।

-0-

नडक के निर्माण में ड्रेनेज लेयर तथा हार्ड शोल्डर्स बनाये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- 1- इलेक्जीबल पेंवमेंट में ड्रेनेज लेयर हेतु सी0आर0एम0 लेयर मुख्य जिला मार्ग एवं सनस ऊपर श्रेणी के मार्गों हेतु प्रावधानित मोटाई में पूर्ण चौड़ाई में रखी जावे।
- 2- अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग हेतु पूर्ण चौड़ाई में सी0आर0एम0 ड्रेनेज लेयर की मोटाई (thickness) 10 सेमी0 तक सीमित रखी जावे। कैरिजवे में सी0आर0एम0 लेयर की मोटाई प्रावधान के अनुसार रखी जावे।
- 3- सी0आर0एम0 से निर्मित ड्रेनेज लेयर के ऊपर रोड लेवल तक पूरी मोटाई में 12 सी0बी0आर0 से अधिक मटेरियल के हार्ड शोल्डर बनाये जाये।

उक्त निर्देश पूर्व की जारी प्रशासकीय स्वीकृतियां जिनका टेण्डर हो गया है उनमें प्रभावी नहीं होंगे। भविष्य में प्रस्तावित कार्यों के प्राक्कलन में यह व्यवस्था लागू की जावे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

सहपत्र- 0

(चन्द्रप्रकाश/अग्रवाल) 18/5/2015

सचिव

क्रमांक 2662-3184/2015/19/यो
प्रतिलिपि:-

मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 20/05/2015

- 1- निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
- 2- प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पी0आई0यू0, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 3- समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
- 4- समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
- 5- समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
- 6- प्रभारी आई0टी0 शाखा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल की ओर परिपत्र मेल से समस्त संबंधित को प्रेषित किये जाने एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।

सहपत्र- 0



(चन्द्रप्रकाश/अग्रवाल) 18/5/2015
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
18/5/15